



कार्यालयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

पत्रांक ७८ /मा.प्लान/जोन-१/१६

मैं एज़ द्वारिका जे.वी.
द्वारा श्री राजकिशोर वर्मा,
ए-३०, से.-४९,
नोएडा।

दिनांक : २५.१०.१६

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक २७.०४.१६ के संदर्भ में खसरा सं.-१०८५, १०८६, १०८८, १०८९ एवं ११३५ ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर प्रस्तुत तलपट मानचित्र सं.-६२/ले-आउट/जोन-१/१६-१७ एवं तलपट मानचित्र में सृजित १३९ भूखण्डों पर बहु-आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु मानक मानचित्र (स्टेल्ट+४ मंजिल सहित) पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक १८.०७.१६ को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है जिनमें से भूखण्ड सं.-ए-१ से ए-१५, बी-३०, सी-१ से सी-२०, डी-१ से डी-२०, ई-१ से ई-२८, एफ-१ से एफ-१८ कुल-१०२ निर्गत किये जा रहे हैं :-

१. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
२. मानचित्रों की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग राजनीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
३. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
४. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसके शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
५. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
६. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध विकासकर्ता को स्वयं करना होगा।
७. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
८. यह मानचित्र उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-१९७३ की धारा-१५ के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
९. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
१०. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
११. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
१२. पर्यावरण की दृष्टि से उ.प्र. राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रति हेक्टेयर ५० पेड़ लगाना अनिवार्य होंगे।
१३. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
१४. १२.०० मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
१५. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
१६. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने होंगे।
१७. निर्धारित २४.० मी. रोड एवं प्रस्तावित १२.० मी. प्रस्तावित जोनल मार्ग में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोड़ते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्ड्री वाल का निर्माण रोड वाइडेनिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
१८. १० प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु छोड़ना होगा।
१९. भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि विनियित कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
२०. उक्त क्षेत्र में ७५ प्रतिशत बाह्य विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य करायें जायेंगे।
२१. नाली, चकरोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
२२. भू-गर्भ जल का उपयोग किये जाने से पूर्व सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
२३. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।
२४. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिरकाव किया जाय एवं डस्ट सस्पेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये।
२५. अतिरिक्त शर्तें स्वीकृति मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : १. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

पत्रांक : एमपी/

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक /

१२.०१.२०१६
मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक
गा.वि.प्रा., गाजियाबाद

मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक